उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-74/2017/604/92-2-17-02जांच/2017
लखनऊ:: दिनांक:: 17 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

गामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के कार्यकाल में अधीक्षण अभियंता पद के दायित्वों के प्रति सजग न रहने, सरकार की प्राथमिकता वाली महतवपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने, विभागीय छवि धूमिल करने के साथ-साथ निर्माण कार्यो को प्रारम्भ करने की चल रही प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से विलम्ब करने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल- गोरखपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-34/2017/02/ 92-2-2017-02जांच/2017 दिनांक 28-02-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुए मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर के पत्र संख्या-2121 अनु0जॉच-व्य0प0-2016-17 दिनांक 08-03-2017 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एतद्द्वारा पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-74/2017/604(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/ विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की **संलग्नक** सहित दो प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि आरोप पत्र में यथा स्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए प्राप्ति रसीद शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र सं0-40/ग्रा0अ0वि0/आ0लि0/अनु0जांच/चित्रकूट/समह-क/2016-17 दिनांक 15-04-2017 के संदर्भ में।

4- श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-गोरखपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।